

डॉ० राहुल खुल्लर वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में सम्मेलन कक्ष सं. 141 उद्योग भवन, नई दिल्ली में दिनांक 30.9.2010 को प्रातः 11.30 बजे आयोजित एसाइड संबंधी अधिकार प्राप्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

एसाइड संबंधी अधिकार प्राप्त समिति की बैठक डॉ० राहुल खुल्लर, सचिव भारत सरकार, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में सम्मेलन कक्ष सं. 141 में दिनांक 30.9.2010 को आयोजित की गई। बैठक में भाग लेने वालों की सूची अनुबंध-1 में दी गई है।

2. डॉ. श्याम अग्रवाल, संयुक्त सचिव ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया और एसाइड निधि स्थिति की पृष्ठभूमि का संक्षिप्त ब्यौरा दिया।

2.1 वाणिज्य सचिव ने उल्लेख किया कि:-

(क) सभी सात केन्द्रीय एसईजेड के आंतरिक अवस्थापना संबंधी विकास का कार्य प्रमुखतः एसाइड के अंतर्गत किया जा रहा है। परंतु आस-पास की/बाह्य अवस्थापना जरूरतें सभी केन्द्रीय एसईजेड की एक जैसी होनी चाहिए। सभी सात केन्द्रीय एसईजेड के विकास आयुक्त इन मुद्दों को संबंधित राज्य के मुख्य सचिवों के साथ उठा सकते हैं ताकि बाह्य अवस्थापना को एसाइड के राज्य संघटक या संबंधित राज्यों में मौजूदा कार्यक्रमों के अंतर्गत अन्य निधियन से सुधारा जा सके; और

(ख) सौर ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में प्रस्ताव पहले नव एवं पुनर्नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय/एमएनआरई को प्रस्तुत किया जाए ताकि उपलब्ध सब्सिडी हासिल की जा सके। इस प्रस्ताव पर ईसी द्वारा एमएनआईईई संसाधनों से पुष्टि होने और एसईजेड प्राधिकारियों से निधियन होने पश्चात ही विचार किया जाएगा।

2.2 इस संबंध में 12.7.2010 को हुई ईसी की बैठक में लिए गए निम्नलिखित निर्णयों को दोहराया गया।

(i) अभिकरण इन परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा की अधिकतम दो वर्षों से अधिक के अंतराल में पूरा करें। इस संबंध में किसी भी विपथन को गम्भीरता से लिया जाएगा।

(ii) एसईजेड की अथारिटी वार प्राप्ति, व्यय एवं निवल निधि उपलब्धता तथा एसईजेड प्राधिकरणों के अंशदान का निर्धारण करने की सिफारिश का विश्लेषण एसाइड के अंतर्गत प्रस्तुत पूंजीगत अवस्थापना प्रस्तावों के लिए किया जाना है।

इस मुद्दे पर अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है। अतः हालांकि यह निश्चय किया गया था कि 7 केन्द्रीय एसईजेड के प्रस्तावों पर विचार अथारिटी निधियों से केवल अंशदान के आधार पर किया जाएगा। इस मामले पर बाद में विचार किया जाएगा; और

(iii) तदनुसार, एसईजेड के सभी अनुरक्षण, उन्नयन एवं सामाजिक अवस्थापना परियोजनाओं पर एसाइड के अंतर्गत विचार किया जाएगा।

(iv) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों (एनईआर एवं एलसीएस को छोड़कर) पर केन्द्रीय संघटक के अंतर्गत तब तक विचार नहीं किए जाएंगे जब तक विश्वस्त औचित्य उपलब्ध न करा दिया जाए ।

3. तत्पश्चात्, कार्यसूची की मदों पर विचार किया गया और निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

3.1 चल रही परियोजनाएं

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	एजेसी	परियोजनाएं	कुल लागत	प्रशासनिक अनुमोदन	लिया गया निर्णय, वर्ष 2010-11 के दौरान लिए गए निर्णय
1	जीएनआई डीए	दादरी, उत्तर प्रदेश में रेल ओवर ब्रिज का निर्माण	4500.00	1250	600.00 की अनुमोदित रिलीज इसके साथ ही, एसाइड के अंतर्गत देय कुल राशि रिलीज कर दी गई ।
2	वीएसईजेड	प्रशासनिक भवन पर एसपीवी ऊर्जा के 10 केडब्ल्यूपीएक्स की स्थापना	28.96	20.272 एमएनआरई: 8.688	3.812 का अनुमोदित रिलीज इसके साथ ही एसाइड (केन्द्रीय) के तहत देय कुल राशि रिलीज होनी है ।
3	वीएसईजेड	एसडीएफ-1 भवन की छत पर एसपीवी ऊर्जा के 50केडब्ल्यूपीएक्स की आपूर्ति एवं स्थापना	140.00	98.00 एमएनआरई: 42.00	20.50 का अनुमोदित रिलीज इसके साथ ही, एसाइड (केन्द्रीय) के तहत देय कुल राशि रिलीज होनी है ।
		कुल	4668.96	1368.272	624.312

3.2 नई परियोजनाएं

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	एजेसी	परियोजना	कुल लागत	प्रशासनिक अनुमोदन	वर्तमान रिलीज के संबंध में निर्णय
1.	एसईईपीजेड एसईजेड	एसईईपीजेड एसईजेड पर 100 केडब्ल्यूपी ग्रिड सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली द्वारा ऊर्जा का उत्पादन	380.95	310.95 एमएनआरई: 70.00	310.95 की अनुमोदित रिलीज

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	एजेंसी	परियोजना	कुल लागत	प्रशासनिक अनुमोदन	वर्तमान रिलीज के संबंध में निर्णय
2.	एसईईपीजेड एसईजेड	एसईईपीजेड एसईजेड हेतु पुनर्विकास योजना..... रत्न एवं जेवरात भवन सं. 1 के पुनर्वास हेतु टावर निर्माण	4032.46	संशोधित प्रस्ताव की प्राप्ति के बाद फाइल पर राशि को अंतिम रूप देना	(1) सिद्धांत में निम्नलिखित चरणों के बाद नये सिरे से फाइल पर अनुमोदित समझा जाएगा । (2) वर्तमान सुविधा 1988 में निर्मित 10,193 वर्ग मी. समाप्त नहीं की जाएगी एसईजेड प्राधिकरण कोष से आवश्यक रख-रखाव एवं मरम्मत कार्य किए जाएगा । (3) डीसी नये सिरे से संशोधित प्रस्ताव पेश करेगा (पेश लागत आकलन लगभग 3,500 प्रति वर्ग फीट है यह बहुत अधिक है । इसकी समीक्षा की जानी है । (4) आगे के विचार हेतु एसईजेड प्रभाग, डीओसी एसाइड में देख एवं सिफारिश कर सकता है ।
3.	फाल्टा एसईजेड	2 सं. में तीन तले भवनों का निर्माण (प्रत्येक भवन में 6 निवास यूनिट)	161.91	161.91	161.91 की अनुमोदित रिलीज
4	फाल्टा एसईजेड	फाल्टा एसईजेड, फाल्टा में सेक्टर-1 पर अग्निरोधक अवसंरचना का निर्माण	533.80	485.28	161.91 की अनुमोदित रिलीज
5	फाल्टा एसईजेड	सेक्टर-II, एफएसईजेड पर चहारदीवारी (0.90 मी.) को ऊँचा करना तथा चहारदीवारी के ऊपर कंसरटीना तार लगाना (गेट सं. 3 से नदी की ओर तथा गेट सं. 3 से गेट सं. 2 की ओर)	78.64	78.64	78.64 की अनुमोदित रिलीज

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	एजेंसी	परियोजना	कुल लागत	प्रशासनिक अनुमोदन	वर्तमान रिलीज के संबंध में निर्णय
6	फाल्टा एसईजेड	निर्बाध कंटेनर संचलन हेतु सेक्टर-1 एवं II, एफएसईजेड में सड़क का निर्माण	277.84	0.00	आस्थगित राज्य के मुख्य सचिव के साथ एएस(डीकेएम) विषय उठाएगा। स्थल निरीक्षण हो चुका है, तथा खासकर कार्य संघटकों के परिकलन के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।
7	फाल्टा एसईजेड	कस्टम गेट, सेक्टर-1 एफएसईजेड के निकट जंक्शन का निर्माण	302.02	फाइल पर राशि विचाराधीन	अनुमोदित स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही राशि के रिलीज का निर्णय लिया जाएगा साथ ही कार्य संघटकों का एक विश्लेषण आवश्यक है।
8	काण्डला एसईजेड	दो एसडीएफ भवन का निर्माण (थल प्लंस दो) 600 वर्ग मी. प्रत्येक	2786.74	संशोधित प्रस्ताव की प्राप्ति के बाद फाइल पर राशि निर्धारित होगी।	1) सिद्धांत में अनुमोदित तथा फाइल पर होने वाली निम्नलिखित चरणों के बाद मुक्त की जाएगी। 2) डीसी संशोधित प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत करेगा (प्रस्तुत लागत आकलन 2300/-रुपए वर्ग फीट से अधिक है - अत्यधिक उच्च। 3) आगे विचार हेतु एसईजेड प्रभाग, वाणिज्य विभाग देख सकता है एवं एसाइड को सिफारिश कर सकता है।
9	काण्डला एसईजेड	सुरक्षा प्रणाली का सुधार	2300.00	0.00	आस्थगित सिर्फ निम्नलिखित संघटकों के साथ डीसी संशोधित प्रस्ताव पेश करेगा। (1) वाच टावर (2) सिक्योरिटी पोस्ट (3) चैक पोस्ट
10	काण्डला एसईजेड	हरा एसईजेड एवं सौर ऊर्जा प्रणाली (फेज-1)	1000.00	700.00	अनुमोदित एमएनआरई से 300.00 की मंजूरी के बाद 700.00 की रिलीज होगी।
11	एमईपीजेड एसईजेड	एमईपीजेड एसईजेड परिसर के भीतर अग्नि हाइड्रंट प्रणाली की व्यवस्था	1277.00	0.00	फाइल पर जाँच होनी है। राज्य सरकार द्वारा निधिकरण के बारे में एमईपीजेड रिपोर्ट देगा तथा इस संबंध में एसाइड के तहत पूर्ववर्ती स्वीकृतिओं की स्थिति स्पष्ट करेगा।
12	वीएसईजेड	वीएसईजेड को जल सप्लाई हेतु प्रस्ताव	422.00	252.00	252.00 की अनुमोदित रिलीज वीएसईजेड प्राधिकार 170.00 लाख रुपए का योगदान करेगा।
13	वीएसईजेड	वीएसईजेड पर 3 औद्योगिक शेड का निर्माण	324.795	259.795 वीएसईजेड यूनिट: 65.00	259.795 की अनुमोदित रिलीज

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	एजेंसी	परियोजना	कुल लागत	प्रशासनिक अनुमोदन	वर्तमान रिलीज के संबंध में निर्णय
14	एनएसईजेड	जे एवं के ब्लॉक एनएसईजेड पर 100 कैंडब्ल्यूपीएक्स 2 ग्रिड संयुक्त सौर संयंत्र की स्थापना	580.00	0.00	सिद्धांत में अनुमोदित एमएनआई निधिकरण की पुष्टि के बाद रिलीज होगी ।
15	मसाला बोर्ड	कोटा, राजस्थान के रामगंज मण्डी पर मसाला पार्क की स्थापना	1500.00	0.00	कच्चे मालों के स्रोतों के विस्तृत विश्लेषण के बाद फाइल पर जाँच की जाएगी ।
16	मसाला बोर्ड	हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में मसाला पार्क लगाना	2700.00	0.00	आस्थगित/नए ब्यौरे बनाने हैं ।
17	मसाला बोर्ड	कांडला में गुणवत्ता-सह-प्रयोगशाला की स्थापना करना ।	500.00	498.00	50.00 की अनुमोदित रिलीज
18	सीएलआर आई	कानपुर, कलकत्ता और जालंधर में सीएलआरआई के क्षेत्रीय केंद्रों पर सुविधाओं का उन्नयन	375.00	0.00	सीएलआरआई को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को निधिकरण के लिए प्रस्तुत करना चाहिए ।
19	हिमाचल प्रदेश सरकार	संदोली (बड्डी), जिला सोलन में ट्रक पार्किंग का निर्माण	1184.50	0.00	आस्थगित
20	हिमाचल प्रदेश सरकार	बड्डी, हिमाचल प्रदेश में आईसीडी के प्रस्तावित रोड़ का निर्माण ।	320.94	0.00	आस्थगित
21	हिमाचल प्रदेश सरकार	बड्डी, हिमाचल प्रदेश में आईसीडी के लिए सुरक्षा कार्य	275.39	0.00	अस्वीकृत
22	रिको	भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग-8 और राज्य राजमार्ग-25 से जोड़ने वाले मौजूदा लिंक रोड की अवसंरचना सुविधाओं में उन्नयन सुधार ।	2129.00	0.00	अस्वीकृत
22	रिको	कुशकेरा औद्योगिक क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग-8 (हरियाणा क्षेत्र) को जोड़ने वाले मौजूदा लिंक रोड की अवसंरचना सुविधाओं का उन्नयन/सुधार	1015.00	0.00	आस्थगित
		कुल	24257.985	3048.595	2298.575

4. निम्नलिखित को कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया ।

4.1 गुना, मध्य प्रदेश में मसाला पार्क स्थापित करना ।

ए.एस.आई.डी.ई. (केन्द्रीय) के लिए अधिकतम सहायता राशि 19 करोड़ रुपए और 2010-11 में 500 लाख रुपए के निर्गम का प्रशासनिक अनुमोदन । (कुल परियोजना लागत: 370458 लाख रुपए पीएमसी प्रभागों को छोड़कर (परियोजना प्रबंधन और सलाह) बाहरी रोड़ और झालावाड़ संघटक ।

4.2 एफडीडीआई, फुर्सतगंज, राय बरेली, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन स्टूडियो की स्थापना ।

12.15 करोड़ रुपए का प्रशासनिक अनुमोदन और 2010-11 में 500 लाख रुपए का निर्गम ।

4.3 विशाखापत्तनम एसईजेड में ट्रक/भासी वाहन पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराना ।

प्रशासनिक अनुमोदन और 110 लाख रुपए का निर्गम ।

5. अध्यक्ष को धन्यवाद देने के साथ बैठक समाप्त हुई ।

डॉ० राहुल खुल्लर, वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता दिनांक 30.9.2010 को प्रातः 11.30 बजे एसाइड की अधिकार प्राप्त समिति को कमरा सं. 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची:-

क्र.सं.	भाग लेने वालों के नाम	पदनाम/संगठन
1.	श्री डी०के० मित्तल	अपर सचिव
2.	श्री पी.के. चौधरी	अपर सचिव
3.	श्री ए.के. मंगोत्रा	अपर सचिव
4.	डॉ. श्याम अग्रवाल	संयुक्त सचिव
5.	श्री अनिल मुकिम	संयुक्त सचिव
6.	श्रीमती अमृत राज	निदेशक (वित्त)
7.	श्री एम.आर. शर्मा	निदेशक (बागान)
8.	श्री ए.के. बाम्बा	निदेशक (राज्य प्रकोष्ठ)
9.	श्री ए.के. शर्मा	अवर सचिव (राज्य प्रकोष्ठ)
10.	श्रीमती सुतापा मजूमदार	निदेशक, योजना आयोग
11.	श्री अरुण के. बिट	विकास आयुक्त, एफएसईजेड
12.	श्री एम.एस. राव	विकास आयुक्त, वीएसईजेड
13.	श्री एस.सी. पांडा	विकास आयुक्त, एनएसईजेड
14.	सुश्री अनीता अग्निहोत्री	विकास आयुक्त, एसईईपीजेड
15.	श्री आर स्वर्णा	विकास आयुक्त, एमएसईजेड
16.	श्री उपेन्द्र वशिष्ठ	संयुक्त विकास आयुक्त, केएसईजेड
17.	श्री वी.जे. कुरियन	अध्यक्ष, मसाला बोर्ड
18.	श्री आर.आर. पटयाल	उप निदेशक, हिमाचल प्रदेश

सं. 13/02/2010-स्टेट सैल
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

...

दिनांक: 11 अक्टूबर, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- एएसआईडीई स्कीम से संबंधित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान आयोजित बैठक का कार्यवृत्त ।

अधोहस्ताक्षरी को वाणिज्य सचिव, डॉ० राहुल खुल्लर की अध्यक्षता में एएसआईडीई स्कीम से संबंधित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की दिनांक 30 सितम्बर, 2010 को सम्मेलन कक्ष सं. 141, उद्योग भवन में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजने का निर्देश हुआ है ।

2. संबंधितों से अनुरोध है कि प्रत्येक परियोजना से संबंधित कृत कार्रवाई टिप्पणी 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी ।

(ए.के. बाम्बा)
निदेशक

सेवा में,

1. संलग्न सूची के अनुसार
2. श्रीमती सुतापा मजूमदार, निदेशक, योजना आयोग, नई दिल्ली

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

वाणिज्य सचिव के प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव/अपर सचिव (डीकेएम)/अपर सचिव (पीकेसी)/ अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, संयुक्त सचिव (एसए)/संयुक्त सचिव (एजीएम) निदेशक (वित्त) निदेशक (बागान)/ निदेशक (एबी) ।

प्रतिलिपि:

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक वाणिज्य विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की गई इस कार्यवृत्त को वाणिज्य विभाग के वेबसाइट पर दर्शाया जाए ।

